

सूचना विवरणिका

(Information Brochure)

श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर
आजमगढ़-276128(उ.प्र.)

(संबद्ध : महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़)

**SHRI DURGA JI POST GRADUATE COLLEGE, CHANDESHWAR
AZAMGARH-276128 (U.P.)**

प्रवेश निर्देशिका 2025-26

(ADMISSION GUIDELINES 2025-26)



(संस्थापक - स्वर्गीय पं. चंद्रबली ब्रह्मचारी)

**Website : <https://sdjpgc.ac.in>
e-mail : info.sdjpgc@gmail.com
Helpline No: 05462297303, 05462297333**

श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चण्डेश्वर आजमगढ़

(संबद्ध : महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़)

शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु प्रवेश संबंधित सूचना

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों बी.ए., बी.एस.सी. (गणित वर्ग), बी.एस.सी. (जीव विज्ञान वर्ग), बी.एस.सी. (आनर्स) (कृषि), एम.एस.सी. (कृषि) शस्य विज्ञान एवं एम.एस.सी. (कृषि) आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञान में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से दिनांक 19 मई 2025 से 28 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं |

बी.एस.सी. (आनर्स) (कृषि) एवं एम.एस.सी. (कृषि) पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लिया जाएगा | बी.ए. एवं बी.एस.सी. के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी बल्कि इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर बनी मेरिट के अनुसार प्रवेश लिया जायेगा |

आवेदन के इच्छुक छात्र सर्वप्रथम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वेबसाइट <https://msdsuadm.samarth.edu.in> से ऑनलाइन पंजीकरण एवं रू0 300/- का रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान के पश्चात विश्वविद्यालय पंजीकरण पत्र (रजिस्ट्रेशन सं0) के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश हेतु महाविद्यालय के वेबसाइट www.sdjpgc.ac.in पर प्रवेश हेतु दिनांक 19-मई-2025 से आवेदन कर सकेंगे |

अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फार्म भरने के पूर्व निम्न सूचनाओं पर विशेष ध्यान दें-

1. आवेदनकर्ता अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी स्पष्ट रूप से अंकित करें | इसमें त्रुटि होने पर आगे की सूचनाएं बाधित हो जाएगी |
2. महाविद्यालय की वेबसाइट www.sdjpgc.ac.in पर प्रवेश के लिए दिए गए लिंक से अभ्यर्थी की सामान्य सूचनाएं एवं मोबाइल नंबर अंकित करने पर अंकित मोबाइल नम्बर पर एक OTP प्राप्त होगा | अभ्यर्थी OTP डालकर अपना प्रवेश फार्म भर सकेंगे |
3. अभ्यर्थी पोर्टल पर आवश्यक शैक्षणिक जानकारी अंकित करते हुए निर्धारित फॉर्मेट पर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करेंगे |
4. तत्पश्चात सबमिट करने के बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करने का आप्सन उपलब्ध होगा | अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त प्रवेश आवेदन पत्र प्रिंट करेंगे |
5. बी.एस.सी. (आनर्स) (कृषि), एम.एस.सी. (कृषि) कृषि शस्य विज्ञान एवं एम.एस.सी. (कृषि) आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन के छात्र/ छात्राएं प्रिंट किये गए आवेदन पत्र को शुल्क रसीद एवं समस्त संलग्नको जैसे सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि सहित प्रवेश परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र के साथ लेकर आयेंगे और उसी दिन परीक्षा कक्ष में जमा करेंगे | बी.ए. एवं बी.एस.सी. की छात्र/ छात्राएं प्रिंट किये गए आवेदन पत्र को समस्त संलग्नको जैसे सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अधिभार संबंधी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि सहित प्रवेश हेतु काउंसलिंग के दिन स्वयं लेकर प्रवेश काउंसलिंग हेतु उपस्थित होंगे |
6. प्रवेश परीक्षा फार्म फाइनल सबमिट करने के पश्चात कोई सुधार संभव नहीं होगा |

7. उपरोक्त सूचनाओं की अनदेखी और लापरवाही से आवेदन पत्र में किसी त्रुटि से आपको प्रवेश परीक्षा से वंचित किया जा सकता है जिसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
8. आवेदनकर्ता स्वयं का मोबाइल नंबर, आधार नंबर एवं ईमेल आईडी आवेदन फार्म में अंकित करें।

महाविद्यालय के बारे में **(About the College)**

श्री दुर्गा जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंडेश्वर आजमगढ़ की स्थापना पूज्य पंडित चंद्रबली ब्रह्मचारी जी द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र के ग्रामीण विकास एवं सामाजिक उत्थान हेतु वर्ष 1958 में मूलतः कृषि महाविद्यालय के रूप में किया गया था। कालांतर में अपने विस्तृत स्वरूप में महाविद्यालय में वर्ष 1963 में विज्ञान व शिक्षा संकाय का एवं वर्ष 1969 में एम.एस-सी. (कृषि) विज्ञान के पाठ्यक्रमों द्वारा गहन व शोध-उन्मुख ज्ञान की आधारशिला रखी रखी गई। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के साथ ही यहां कृषि विषयों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा स्वीकृत जौ अनुसंधान परियोजना 1979 एवं 1984 के अंतर्गत जौ प्रजनन में महत्वपूर्ण शोध कार्य हुए हैं।

स्थापना वर्ष से यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था। यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा दो एवं 12वीं के तहत मान्यता प्राप्त है। यह महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है जिससे कृषि विज्ञान, कला, विज्ञान एवं शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उत्कृष्ट छात्र पैदा करने के लिए जाना जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठसह्यामी गतिविधियों जैसे एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवर्स रेंजर्स, खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी कुशलतापूर्वक संचालित किया जाता है। महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण एवं उत्तर प्रदेश कृषि मंडी परिषद की छात्रवृत्ति केवल कृषि छात्रों को उनकी योग्यता क्रम में प्रदान करने की सुविधा भी उपलब्ध है यह

महाविद्यालय आजमगढ़ जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ गाजीपुर मार्ग पर स्थित है।

पाठ्यक्रम - विवरण

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि	सीटों की संख्या	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
1.	बी.एस-सी.(ऑनर्स) कृषि	8 सेमेस्टर (चार वर्षीय)	120	इंटरमीडिएट (10 + 2) कृषि या विज्ञान (बायो या मैथ ग्रुप)
2.	बी.एस-सी. (बायो एवं मैथ ग्रुप) (नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप)	6 सेमेस्टर (तीन वर्षीय)	260 (130 + 130)	इंटरमीडिएट (10 + 2) विज्ञान (बायो या मैथ ग्रुप)
3.	बी.ए.(नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप)	6 सेमेस्टर (तीन वर्षीय)	508	इंटरमीडिएट (10 + 2) कला या कृषि या विज्ञान या वाणिज्य
4.	एम.एस-सी. (कृषि)शस्य विज्ञान एम.एस-सी. (कृषि)अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन (नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप)	4 सेमेस्टर (द्विवर्षीय)	15 + 15	बी.एस-सी. कृषि / बी.एस-सी.(ऑनर्स) कृषि (10+2 +4 प्रणाली)
5.	बी. एड.	4 सेमेस्टर (द्विवर्षीय)	50	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के संस्तुतअभ्यर्थियों को ही प्रवेश

नोट : सीटों की संख्या यथा आवश्यक निर्देशों के अनुरूप परिवर्तनीय है जिसका निर्णय विश्वविद्यालय के स्तर पर किया जाता है

आरक्षण (Reservation)

पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत आरक्षण प्रदान किया जाएगा -

क्रमांक	लंबवत आरक्षण (मुख्य श्रेणी)		क्षैतिज आरक्षण उप श्रेणी	
	श्रेणी	प्रतिशत	श्रेणी	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21	महिला	20
2.	अनुसूचित जनजाति	02	दिव्यांग	3
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	2
4.	आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS*)	10		

*उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग- 2 सं. 5/2019/4/1/2002 का-2/2019टी.सी. दिनांक 13 अगस्त 2019 .

नोट: आरक्षण उत्तर प्रदेश के प्रभावी नियमों के अनुसार दिया जाएगा |

**दिव्यांग आरक्षण एम.एस.सी.(कृषि)एग्रोनॉमी एवं जी.पी.बी. की संयुक्त सीट संख्या के आधार पर सत्र 2020- 21 से चक्रानुसार निर्धारित है |

प्रवेश प्रक्रिया (Admission Process)

महाविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में निम्नवत के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया संपादित की जाएगी -

- बी.एस.सी.(ऑनर्स) कृषि एवं एम.एस.सी. (कृषि)के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिखित परीक्षा के अंकों एवं अर्ह अधिभार (Eligible weightage) के भारांकोंके योग द्वारा सृजित मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा |
- बी.ए. एवं बी.एस.सी. के पाठ्यक्रमों में प्रवेश इंटरमीडिएट में प्राप्त अंक प्रतिशत एवं अधिभार प्रतिशत के योग द्वारा सृजित मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा|
- एम.एस.सी. (कृषि)में विषय का चयन काउंसलिंग के दौरान मेरिट के आधार पर निश्चित होगा |

अर्ह- अधिभार (Eligible-Weightage)

क्रमांक	अधिभार की श्रेणी	भारांक	भार प्रतिशत
1.	महाविद्यालय के मातृ संस्था से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं	10	05
2.	<u>NCC</u>		
	a. ए - प्रमाणपत्र	04	02
	b. बी- प्रमाण पत्र	06	03
	c. सी- प्रमाण पत्र	10	05
3.	<u>रोवर्स/रैजर्स</u>		
	a. राज्य स्तरीय समागम राज्यपाल /राष्ट्रपति पुरस्कृत	10	05
	b. विश्वविद्यालय के अंतर –महाविद्यालयी समागम	06	03
	c. प्रवीण निपुण जनपदीय समागम	04	02
4.	<u>एन.एस.एस. (NSS)</u>		
	a. 240 घंटे कार्य का प्रमाणपत्र	02	01
	b. 240 घंटे कार्यएवं एक शिविर	04	02
	c. 240 घंटे कार्य एवं दो शिविर	06	03

5.	खेलकूद		
	a. राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/अंतर्विश्वविद्यालयीय	10	05
	b. विश्वविद्यालय के अंतर महाविद्यालयीय/मंडलीय खेलकूद	04	02

प्रवेश परीक्षा पद्धति

बी.एस-सी.(ऑनर्स) कृषि एवं एम.एस-सी. (कृषि)पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार की होगी | प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे | प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 अंक निर्धारित हैं | इस प्रकार संपूर्ण प्रश्नपत्र 200 अंकों का होगा |

1. बी.एस-सी.(ऑनर्स) कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित लिखित परीक्षा का प्रारूप (पैटर्न) निम्नलिखित है –

क्रमांक	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	सामान्य अध्ययन	25
2	कृषि के सभी विषय	50
3	विज्ञान (भौतिक / रसायन/ जीव विज्ञान)	25
कुल प्रश्न –		100

नोट: बी.एस-सी. ऑनर्स पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों का स्तर संबंधित विषय के इंटरमीडिएट स्तर का होगा |

2. एम.एस-सी.(कृषि) के पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा 200 अंको की एवं प्रश्न पुस्तिका का प्रारूप(पैटर्न) निम्नलिखित है -

क्रमांक	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	सामान्य अध्ययन	25
2	बी.एस-सी. कृषि के सभी विषयों से सम्बंधित प्रश्न	75
कुल प्रश्न –		100

नोट: एम.एस-सी.(कृषि) पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों का स्तर कृषि विज्ञान विषय के स्नातक स्तर का होगा |

प्रवेश परीक्षा केंद्र

बी.एस-सी.(ऑनर्स) कृषि एवं एम.एस-सी. (कृषि) पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित प्रवेश परीक्षा महाविद्यालय परिसर में संपन्न कराई जाएगी |

प्रवेश पत्र

प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा हेतु प्रस्तावित तिथि से लगभग एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा | जिसकी सूचना यथा समय महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी | बिना वैध प्रवेशपत्र के किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा |

अन्य सामान्य नियम व अनुदेश

1. चूँकि प्रवेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है अतः ऑनलाइन माध्यम से अंतिम तिथि तक या अंतिम तिथि के भीतर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को ही प्रवेश की अग्रेतर प्रक्रिया हेतु स्वीकार किया जाएगा |
2. प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित समस्त सूचनाएं महाविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट www.sdjpgc.ac.in पर ही डाली जाएगी | अतः सभी अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वह प्रवेश से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए महाविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें |
3. शैक्षणिक अंतराल वाले अभ्यर्थियों के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमावली के अनुसार निर्णय होगा |
4. अभ्यर्थियों को अलग-अलग कक्षाओं में प्रवेश के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा | एक ही आवेदन पत्र को सभी कक्षाओं / पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा | अभ्यर्थी के महाविद्यालय में प्रवेश के उपरांत विषय में परिवर्तन नहीं होगा |
5. छात्र / छात्राएं महाविद्यालय में बी.ए. / बी.एस-सी. संकाय में प्रवेश लेने के उपरांत नई शिक्षा नीति के अनुरूप सेमेस्टर परीक्षा हेतु विषय का चुनाव करेंगे |
6. आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के नियम प्रभावी होंगे |
7. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आवेदित श्रेणी (Category) में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है |
8. प्रवेश के समय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश शासन के नवीनतम शासनादेश के अनुरूप अद्यतन जाति प्रमाण पत्र /क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा | यदि ऐसे अभ्यर्थी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा |

9. अभ्यर्थियों को संगत पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य है और इस आशय का मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। शैक्षिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, टी.सी./प्रवजनव चरित्र प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश संभव नहीं होगा।
10. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में इनकी सीटें अनुसूचित जाति में स्थानांतरण होंगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी दशा में इन सीटों को सामान्य योग्यता सूची के आधार पर ही भरा जाएगा।
11. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS)/ दिव्यांग/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों को यथा विहित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अद्यतन निर्गत मूल जाति/ आनुषंगिक प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. यदि अभ्यर्थी का किसी पाठ्यक्रम में किसी भी कारण से गलत प्रवेश हो जाता है /ले लेता है तो उसका प्रवेश किसी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
13. प्रवेश / काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर अनुपस्थित रहने अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क जमा करने में असफल रहने पर मेरिट सूची से अगला प्रवेश दे दिया जाएगा एवं ऐसी दशा में बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
14. महाविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश का अंतिम सर्वाधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।
15. यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और यदि कोई अभ्यर्थी गलत सूचना के आधार पर प्रवेश पा जाता है तो पता लगने पर उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय को अग्रतर कार्यवाही की संस्तुति कर दी जाएगी।
16. किसी भी कक्षा में निर्धारित सीट से कम आवेदन प्राप्त होने की दशा में प्रवेश योग्यता प्रदायी परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।
17. किसी भी दशा में प्रवेश आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।

प्रवेश आवेदन शुल्क विवरण

क्रमांक	कक्षा/पाठ्यक्रम	श्रेणी	निर्धारित शुल्क
1.	बी.एस-सी.(ऑनर्स) कृषि	अनारक्षित /अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS)	650/-
		अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	400/-
2.	बी.ए. / बी.एस-सी	अनारक्षित /अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS)	350/-
		अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	250/-

3.	एम.एस-सी. (कृषि)	अनारक्षित /अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS)	800/-
		अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	500/-

प्राचार्य